प्रेस विज्ञप्ति

05.11.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर जोनल कार्यालय ने 62.13 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन मामले में चरणजीत सिंह बजाज और मेसर्स प्योर मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएमपीपीएल) कंपनी सहित 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 30.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो, ईओयू-IV, नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स पीएमपीपीएल ने उस इच्छित उद्देश्य के लिए ऋण का उपयोग नहीं किया जिसके लिए ऋण दिया गया था और मैसर्स पीएमपीपीएल के एमडी चरणजीत सिंह बजाज ने विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अपराध की आय) पीओसी (को अन्य उद्देश्य से उपयोग किया। इसके अलावा, धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके 37.82 करोड़ रुपये की पीओसी को विभिन्न संबंधित संस्थाओं को भेज दिया गया।

ईडी ने पहले 11 अलग-अलग परिसरों में तलाशी ली थी, जिसमें 1.14 करोड़ रुपये की नकदी और सोना बरामद हुआ था। इससे पहले ईडी ने 24.94 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी जब्त की थी।

आगे की जांच जारी है।